COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(112)

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

केम्प इन्दौर मध्यप्रदेश

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/0218

निर्मलाबाई पिता स्वरूपचन्द पति गोपाल जाति कुलमी
आयु 46 वर्ष, धंधा खेती निवासी ग्राम तिरला
हा0मु0 ग्राम एहमद तहसील सरदारपुर
जिला धार म0प्र0 ....अपीलांट

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 25-11-17
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
928
25-11-2017

1–एक. अनुसुईयाबाई पति जगदीश जाति कुलमी
आयु 45 वर्ष, निवासी बोलासा तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ हा0मु0 ग्राम तिरला तहसील
व जिला धार म0प्र0

2–दो. जगदीश पिता अम्बाराम जाति कुलमी
आयु 50 वर्ष, निवासी बोलासा तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ हा0मु0 ग्राम तिरला तहसील
व जिला धार म0प्र0

3–तीन. सुधा पति मधुसुदन जाति कुलमी
आयु 30 वर्ष, निवासी बोलासा तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ हा0मु0 ग्राम तिरला तहसील
व जिला धार म0प्र0 ....रेस्पांडेन्टगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन है कि –

1. यह कि प्रार्थी यह रिवीजन याचिका अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर सीाग इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक 483/अपील/2014–15 में दिनांक 14/09/2017 को पारित अंतिम आदेष जिसकी जानकारी

.... 2

अपीलांटगण को दिनांक 07/10/2017 को हुई होने से जिसकी प्रमाणित नकल दिनांक 12/10/2017 को प्राप्त होने से उस आदेष से असंतुष्ट होकर उक्त निगरानी नकल के दिन मुजरा जातें निम्न व अन्य आधारों पर आज दिनांक को अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह की अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर के समक्ष अपीलार्थी ने धारा 42 (2) म.प्र. भू.रा.सं. के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें अपीलांट व रेस्पांडेन्ट कमांक 1 आपस में दोनो बहने होकर रेस्पांडेन्ट कमांक 2 अपीलांट का जीजा एवं रेस्पांडेन्ट कमांक 1 का पति होकर रेस्पांडेन्ट कमांक 3 की पुत्रवधु है। अपीलांट के पिता की कृषि भूमि ग्राम गंगानगर "तिरला" प0ह0न0 16/37 रा0नि0 वृत्त–2 तिरला तहसील व जिला धार के भूमि सर्वे कमांक 53, 53/214, 54, 54/215, 56, 59, 60, 143, 144, 154, 155 कुल सर्वे कमांक 11 कुल रकबा 9.829 की स्थित होकर उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता के नाम पर स्थित है।

2. यह कि अपीलांट के पिता का पूर्व में विवाह अपीलांट की माता कमलाबाई के साथ हुवा होकर अपीलांट जब 1 वर्ष की आयु थी, तब उसकी माता का देहान्त हो जाने से अपीलांट के पिता के द्वारा दूसरा नातरा मैनाबाई के साथ कर लिया होकर तीन संताने अनुसुईयाबाई पति जगदीश, दुर्गाबाई पति कालू एवं कलाबाई पति कृष्णा है, जिनका उनका विवाह होने के उपरांत वह सब अपने अपने पति के साथ अपने अपने ससुराल में निवास करती है।

3. यह कि अपीलांट के पिता की आयु करीब 90 वर्ष की होकर दिनांक 08/12/2014 को अपीलांट के पिता का स्वर्गवास सुबह 4 बजे हो गया होकर अपीलांट के पिता कम पढेलिखे होकर मात्र हस्ताक्षर करना जानते थे, जिनकी मानसिंक स्थिति का लाभ उठाकर रेस्पांडेन्ट 1 अनुसुईयाबाई जो की अपीलांट की बहन है तथा उसके मन में बदयांती आ जाने से, उसने अपीलांट के पिता स्वरूपचन्द को झांसे में लेकर मुगालता देकर छल एवं धौखे से तथा अपीलांट का अधिकार हडपने की नियत से

.... 3

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2018/0218

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । अनावेदकपक्ष अधिवक्ता श्री मोहन पाटीदार उपस्थित । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	